''नफ़रत से उपजे अपराध गंभीर अमानवीय अपराधों में से एक है, क्योंकि आततायी लोग अपने शिकार को एक गरिमामयी मनुष्य के रूप में नहीं बल्कि उनकी त्वचा के रंग, भाषा, धर्म, कामुक रुझान या अपंगता के आधार पर देखते हैं। साथ ही, नफ़रती अपराध से शिकार व्यक्ति के पूरे समूह को चपेट में ले लेते हैं, जिससे पूरे समुदाय में चिंता फैलती है।''

बिल लॉकियर
एटार्नी जनरल

केलिफोर्निया में नफ़रती अपराध

केलिफोर्निया में, यदि आपको ''सही'' या ''दृश्य'' नस्ल, कौम, राष्ट्रीय मूल, धर्म, लिंग, कामुक रुझान या शारीरिक अथवा मानसिक अपंगता के कारण लक्ष्य बनाया जाता है तो आप नफ़रती अपराध के शिकार माने जा सकते हैं। ऐसे समूहों को ''संरक्षित समूह'' माना गया है। सभी लोग एक संरक्षित समूह के सदस्य हैं।

नफ़रती घटना और नफ़रती अपराधों के बीच अंतर कर पाना बहुत जरूरी है।

नफ़रती घटना कोई ऐसा कार्य या व्यवहार है जो नफ़रत के कारण किया जाता है, पर जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रथम संशोधन, द्वारा संरक्षित है। नफ़रती घटनाओं के उदाहरणों में शामिल है गाली देना, अपमानजनक नाम पुकारना, घृणास्पद सामग्री को सार्वजनिक जगहों पर बांटना तथा किसी की संपदा पर नफ़रत बढ़ाने वाली आक्रामक सामग्री का प्रदर्शन करना। यू.एस. के संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता, जैसे कि बोलने की स्वतंत्रता में नफ़रत बढ़ाने वाली भाषणबाजी की अनुमति तब तक है जब तक कि वह अन्य लोगों के नागरिक अधिकारों में व्यवधान नहीं डालती। यदि इस प्रकार का व्यवहार किसी व्यक्ति या संपत्ति के प्रति धमकी में बदल जाए या कार्यान्वित हो जाए तो इसे *नफ़रती अपराध* कहा जाएगा।

नफ़रती अपराध किसी व्यक्ति या उसकी संपत्ति के प्रति एक अपराधिक कार्य है या अपराधिक कार्य करने की कोशिश है, क्योंकि वह व्यक्ति एक संरक्षित समूह का सदस्य है या सदस्य समझा जा सकता है।

नफ़रती अपराधों के बारे में सक्षम प्राधिकारियों जैसे कि आपकी स्थानीय पुलिस या शेरिफ विभाग को रिपोर्ट की जाना चाहिए। कानून का अनुपालन कराने वाले को यदि नफ़रती अपराधों की रिपोर्ट नहीं की गई तो आततायी लोग अपने विश्वास के आधार पर ऐसे काम लगातार करते रहेंगे और समाज के लिए निरंतर खतरनाक बनते रहेंगे।

नफ़रती अपराध के शिकार

यदि आपको संदेह है कि आप नफ़रती अपराध के शिकार हैं तो आपको चाहिए कि आप :

- पुलिस या शेरिफ विभाग को तत्काल फोन करें।
- चिकित्सा की सावधानी बरतें (यदि जरूरी हो)।
- जो शब्द बोले गए उन्हें ठीक उसी तरह लिख लें एवं कोई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हो तो उसे लिख लें।
- प्रमाण इकट्ठे करें (दीवारों पर लिखी सामग्री, अंडे के छिलके, शिकार हुए व्यक्ति की गाड़ी पर लिखे शब्द)। कोई प्रमाण नहीं मिटाएं। कानून अनुपालन कराने वाले अधिकारियों के आने और फोटो लेने तक इंतजार करें।
- अन्य पीड़ित व्यक्तियों व गवाहों के नाम तथा उनके पते व टेलीफोन नंबर प्राप्त करें।
- यदि संभव हो तो आततायी का हुलिया एवं आततायी की गाड़ी का विवरण प्राप्त करें।
- आपके समुदाय में कार्यरत ऐसी संस्थाओं को फोन करें जो नफ़रती अपराधों के विरुद्ध काम कर सके।

सामान्य संकेत

निम्नलिखित सूची में बताई गई बातें इस बात का संकेत है कि कोई नफ़रती अपराध घटित हुआ है :

- पीड़ित व्यक्ति या गवाह की ऐसी धारणा कि आततायी द्वारा उसे इसलिए चुना गया क्योंकि वह एक संरक्षित समूह का सदस्य है।
- आततायी द्वारा लिखे या कहे गए विचार जिनसे दुर्भावना झलकती हो।
- घटना का दिन, पीड़ित व्यक्ति के संरक्षित समूह के लिए एक महत्वपूर्ण दिन हो।
- पीड़ित एवं आततायी में, उदाहरण के लिए नस्ल या धर्म में, अंतर।
- क्षेत्र में नफ़रत फैलाने की सुनियोजित सामूहिक गतिविधि।

नफ़रती अपराधों के पीड़ितों को उपलब्ध सेवाएं

- केलिफोर्निया के संविधान द्वारा 'विक्टिम्स बिल ऑफ राइट्स' के अंतर्गत आपको कई अधिकार प्राप्त हैं। उदाहरणार्थ, आततायी के विरुद्ध मुकदमे के बारे में आपको सूचना पाने का अधिकार है तथा सजा दिलाने के लिए विक्टिम इम्पेक्ट स्टेटमेंट (अपराध पीड़ित का बयान) देने का अधिकार है।
- आपको कोई नुकसान हूआ हो, क्षति या चोट पहुँची हो तो आप भरपाई के पात्र हो सकते हैं।
- आपको राल्फ एक्ट एवं बैन एक्ट के अंतर्गत भी संरक्षण प्राप्त है। इन कानूनों के अंतर्गत कोर्ट आपको

पैसा दिला सकती है। जिस व्यक्ति ने आपके अधिकारों का हनन किया हो उसे कोर्ट आपको दीवानी दंड ($25,000) अदा करने, आपको हुए वास्तविक नुकसान का पैसा देने और/या उस व्यक्ति को दंड देने के लिए अतिरिक्त धनराशि अदा करने एवं इन कानूनों का भविष्य में उल्लंघन नहीं करने का आदेश दे सकती है। आपको आगे होने वाले किसी नुकसान से संरक्षित रखने के लिए भी कोर्ट, निषेधाज्ञा जारी कर सकती है या अन्य आदेश दे सकती है, और यदि आपने वकील किया हो तो आपको नुकसान पहुँचाने वाले व्यक्ति को आपके वकील की फीस अदा करने का आदेश दे सकती है।

आप एवं आपका समुदाय क्या कर सकता है ?

- नफ़रत व असहिष्णुता के बारे में बोलें।
- सामुदायिक रैलियाँ आयोजित कर पीड़ितों की सहायता करें, तथा पीड़ितों को समर्थन एवं मदद दें।
- जन-अधिकारियों को प्रोत्साहित करें कि वे नफ़रती अपराधों के प्रति अपना विरोध दर्ज कराएं।
- नफ़रती अपराधों के ख़िलाफ अपना विरोध प्रकट करने के लिए नेटवर्क बनाएं जिसमें कानून अनुपालक, स्थानीय सरकार, स्कूलें, धार्मिक संस्थाएं एवं सामुदायिक संस्थाएं शामिल हों जो किसी भी नफ़रती अपराध के घटने पर तत्काल कार्यवाही करे, इसकी रोकथाम सुदृढ़ करे एवं जागरूकता बढ़ाए।

सहायता कैसे प्राप्त करें

यदि आप नफ़रती अपराध के शिकार हुए हों तो, आपको इन जगहों से मदद मिल सकती है :

- केलिफोर्निया के एटार्नी जनरल का ऑफिस
  विक्टिम्स सर्विसेज़
  टेलीफोन : (877) 433-9069
- केलिफोर्निया राज्य - डिपार्टमेंट ऑफ फेयर इंप्लायमेंट एंड हाउसिंग
  टेलीफोन : **1-800-884-1684**
  टीटीवाय : **1-800-700-2320**
- केलिफोर्निया स्टेट बोर्ड ऑफ कंट्रोल विक्टिम्स ऑफ वायोलेंट क्राइम यूनिट
  टेलीफोन : **1-800-777-9229**
- आपके स्थानीय एटार्नी द्वारा संचालित विक्टिम/विटनेस प्रोग्राम (टेलीफोन बुक में काउंटी लिस्टिंग)
- आपके डिस्ट्रिक्ट में यूनाइटेड स्टेट्स के एटार्नी ऑफिस द्वारा संचालित विक्टिम/विटनेस प्रोग्राम (टेलीफोन बुक में फेडरल लिस्टिंग)
- यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस
  कम्युनिटी रिलेशंस सर्विसेज़ (टेलीफोन बुक में फेडरल लिस्टिंग)

इस कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी तथा अपराध रोकथाम संबंधी अन्य जानकारी पाने के लिए लिखें :

Crime and Violence Prevention Center
California Attorney General's Office
P.O. Box 944255
Sacramento, CA 94244-2550

http://caag.state.ca.us/cvpc

B14f-9119
06/01

नफ़रती अपराधों को रोकना

हम क्या कर सकते हैं

क्राइम एंड वायोलेंस प्रिवेंशन सेंटर
केलिफोर्निया एटार्नी जनरल का कार्यालय

बिल लॉकियर
एटार्नी जनरल

Preventing Hate Crime-Hindi